राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/146

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111/128	85/2024	03/04/24	[illegible] 29/4/24	18/4/24

अनवान

श्री ओमप्रकाश s/o गोपीलाल सुनार वगै. श्री दिलिप s/o कन्हैयालाल लसोड वगै.

निवासी बिजोलिया निवासी कास्या तह बिजोलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री सुनिल बाकलीवाल Adv. श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

ओमप्रकाश वगै. बनाम दिलिप वगै. नम्बर 85/2024

किस्म मुकदमा – 111-128 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/4/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलवी/जवाब दिनांक 18/4/2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	तामील
18/4/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/4/24 को वास्ते उपरोक्त पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
23/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली आगामी दिनांक 29/04/24 को वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 29/4/24 को पेश हो उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा	
29/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में आदेश सुनाए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा	

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बिजौलियॉ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 85/24

तारीख दायर 03/04/24

1. ओमप्रकाश पुत्र गोपीराम उर्फ गोपीलाल जाति सुनार उम्र वयस्क निवासी बिजौलियॉ तहसील बिजौलियॉ हाल निवास उदयपुर जिला उदयपुर (राज0)
2. कैलाशी देवी पुत्री गोपीराम उर्फ गोपीलाल जाति सुनार उम्र वयस्क निवासी बिजौलियॉ तहसील बिजौलियॉ हाल निवास बिगोद तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. घनश्याम पुत्र गोपीराम उर्फ गोपीलाल जाति सुनार उम्र वयस्क निवासी बिजौलियॉ तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. सुरेश कुमार पुत्र गोपीराम उर्फ गोपीलाल जाति सुनार उम्र वयस्क निवासी बिजौलियॉ तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)

––प्रार्थीगण

बनाम

1. दिलीप लसोड पुत्र कन्हैयालाल लसोड जाति जैन, उम्र वयस्क निवासी कास्यां हाल निवास बिजौलियॉ तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. कैलाशचन्द्र पुत्र रामलाल जाति मेहर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियॉ तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. नाथुलाल पुत्र देवीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बृजपुरा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. विष्णु पुत्र भंवरलाल जाति नायक उम्र वयस्क निवासी बिजौलियॉ तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. अर्जुन पुत्र हरिशंकर शर्मा जाति ब्रह्मण उम्र वयस्क निवासी बिजौलियॉ तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. भु–स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियॉ तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाडा राज0

––विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11–128 रा0ले0रे0 एक्ट

:–आदेशः–

दिनांक 29/04/24

प्रार्थनापत्र **प्रार्थीगण श्री ओमप्रकाश व अन्य** ने जरिये अभिभाशक **श्री सुनिल बाकलिवाल** प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि **मौजा ग्राम किशनपुरिया पटवार क्षैत्र लक्ष्मीखेड़ा, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र बिजौलियॉ कलां, तहसील बिजौलियॉ में स्थित खाता संख्या 17 आराजी नंबर 210/65 रकबा 1.7806 हैक्टेयर भुमि** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत **2074–2077** के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड़ रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **मौजा ग्राम किशनपुरिया पटवार क्षैत्र लक्ष्मीखेड़ा, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र बिजौलियॉ कलां, तहसील बिजौलियॉ में स्थित खाता संख्या 17 आराजी नंबर 210/65 रकबा 1.7806 हैक्टेयर भुमि** की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोश में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियॉ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियॉ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ जिला भीलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख दायर 3/4/24

प्रकरण संख्या :– 85/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :– प्रकरण संख्या ....85/24........ प्रत्थरगढी बाबत्।

1. ओमप्रकाश पुत्र गोपीराम उर्फ गोपीलाल जाति सुनार उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ हाल निवास उदयपुर जिला उदयपुर (राज0)
2. कैलाशी देवी पुत्री गोपीराम उर्फ गोपीलाल ज़ाति सुनार उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ हाल निवास बिगोद तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. घनश्याम पुत्र गोपीराम उर्फ गोपीलाल जाति सुनार उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. सुरेश कुमार पुत्र गोपीराम उर्फ गोपीलाल जाति सुनार उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. दिलीप लसोड पुत्र कन्हैयालाल लसोड जाति जैन, उम्र वयस्क निवासी कास्यां हाल निवास बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. कैलाशचन्द्र पुत्र रामलाल जाति मेहर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. नाथुलाल पुत्र देवीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बृजपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. विष्णु पुत्र भंवरलाल जाति नायक उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. अर्जुन पुत्र हरिशंकर शर्मा जाति ब्रह्मण उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. भु–स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा राज0

—विपक्षीगण

उपर्युक्त विशयान्र्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **मौजा ग्राम किशनपुरिया पटवार क्षैत्र लक्ष्मीखेड़ा, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र बिजौलियाँ कलां, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 17 आराजी नंबर 210/65 रकबा 1.7806 हैक्टेयर भुमि** की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियाँ कलां** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस ~~500~~ Nil तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)